


GOVT. HAMIDIA ARTS AND COMMERCE COLLEGE, BHOPAL
Central Sector Scheme for Meritorious Students scoring above 75% Marks
(National Scholarship)
SESSION-2020-21

Amount received under the scheme

Sr. No.	Academic Year	Number of Students	Amount Received
1	2020-21	36	5,60,000/-


(Dr. Anil Shivan)
Principal
शासकीय प्रशासना कलेस
वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल

सिद्धल सेक्टर नेशनल द्वाभृत्ति

P-1

सत्र - २०२० - २०२१

सं.क्र.	नाम	कक्षा	गो. नं.	Amt./Rate
1	अश्विनी रिझवानी	B.com I yr	9755688706	10,000/- ✓
2	रोहितकुमार तिवारी	m.com I sec	7748007144	20,000/- ✓
3	सुधांशु यादव	B.com II yr	7879320736	10,000/- ✓
4	मनत मुखरेश्या	m.com I s	9340122642	20,000/- ✓
5	अनिकेत रायकवार	BA I yr	7049277763	10,000. ✓
6	प्रकाश चतुर्वेदी	MAI, Pol. Sc.	937714751752	20,000. ✓
7	सत्येन्द्र सिंह दांगी	BA II yr	9617306931	10,000. ✓
8	शुभम जैन	BA II yr	8827920404	10,000. ✓
9	रामकरण मेहरा	BA II yr	7240918705	10,000. ✓
10	अश राजपूत	m.com III c	9111834685	20,000. ✓
11	दीपक प्रजापति	MA III s Eco.	9522721842	20,000. ✓
12	हितेश मंगलानी	m.com III s	9755989686	20,000. ✓
13	रोहित लक्ष्मणी	m.com III s	8770503412	20,000. ✓
14	मुकेश मोटवानी	m.com III c	8770199585	20,000. ✓
15	अजय	BA I yr	9340487139	10,000 ✓
16	आकाश जोटन	BA I yr	9752257555	10,000 ✓
17	इमरान खान	BA I yr	9993255934	10,000 ✓
18	प्रदीप पटेल	MAI, Hindi	9826345150	20,000. ✓
19	प्रांजल चौधान	BA I yr.	9752812070	10,000 ✓
20	प्रियांशु शुक्ला	MAI, Geog.	9752970104	20,000. ✓
21	लक्ष्मण रघुवंशी	MA III Pol. Sc.	9516464651	20,000. ✓
22	अथर्व सोनी	B.com II yr.	8085338354	10,000 ✓
23	अभिषेक सूर्यवंशी	MAI Pol. Sc.	8269988600	20,000. ✓
24	मनोज चौरसिमा	BA II yr.	8269030643	10,000 ✓
25	अंकलेश प्रजापति	BA I yr.	8103491928	10,000 ✓
26	जितेन्द्र	MA III Hist.	9340730512	20,000. ✓
27	अंकित वैरागी	B.com III yr	7999466650	10,000 ✓
28	प्रतीक चतुर्वेदी	MAI Hindi	7440730377	20,000. ✓

P.T.O.

प्राचार्य
शासकीय हमीदिया कला एवं
वाणिज्य महाविद्यालय, काशी

				Amt/Rate
29	सन्दीप कोरी	MCom III	8889586441	✓ 20,000.
30	आशीष चौहान	MA III Geog.	7803841077	✓ 20,000.
31	विवेक साहू	MA III & Hist.	9713894902	✓ 20,000.
32	कौशल सादव	MA III & Pol. Sc.	7000951867	✓ 20,000.
33	अंकित कुमार कुरकंजी	MCom I &	8359832610	✓ 20,000.
34	अभिनव जैन	B.com II	8839365852	10,000 ✓
35	धीरेन्द्र पटेल	MA I Pol. Sc.	6263688685	✓ 20,000.
36	शशांक जैन	B.com II	7772001421	10,000 ✓

Total = 5,60,000 = 00
कुल दरका मोबाईल पांच लाख साठ हजार मात्र।

पंच. अर. रिकार्ड
प्रभारी.

पांचायत
शिक्षा

प्रा. प्र.
शासकीय एवं कला एवं
वाणिज्य महाविद्यालय, भापाल

No. 1-55/2014-NS-1 (Revised guidelines)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(National Scholarship Division)

2nd Floor, Wing-6, West Block-1, R.K. Puram,
New Delhi, the 2nd August, 2013

To

Heads of all State Education Boards

Subject: Change in the income criteria for the "Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students - regarding.

Sir,

I am directed to inform that with the approval of Hon'ble Minister for Human Resource Development, the income ceiling under the "Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students" has been revised from Rs. 6 lakh per annum to Rs. 8 lakh per annum which will be effective from the Academic Year 2018-19. A copy of the revised guidelines is enclosed.

2. All State Education Boards are requested to flash the revised provision of income ceiling in their website, so that more number of students could apply online.
3. The receipt of the revised guidelines may kindly be acknowledged.

Encl: Revised Guidelines

Yours faithfully,

(Ghanshyam)

Under Secretary (Scholarship)

Tel. 26172917

Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(Scholarship Bureau)

69

GUIDELINES

CENTRAL SECTOR SCHEME OF SCHOLARSHIP FOR COLLEGE
AND
UNIVERSITY STUDENTS

AUGUST, 2018

(63)

Department of Higher Education
Scholarship Bureau
(National Scholarship Division)

**GUIDELINES FOR THE CENTRAL SECTOR SCHEME OF
SCHOLARSHIP FOR COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENTS**

1. OBJECTIVE: -

To provide financial assistance to meritorious students from low income families to meet a part of their day-to-day expenses while pursuing higher studies.

2. SCOPE: -

The scholarships are awarded on the basis of the results of Senior Secondary Examination. 82000 fresh scholarships per annum [41000 for boys and 41000 for girls] are awarded for pursuing graduate / postgraduate studies in colleges and universities and for professional courses, such as Medical, Engineering etc.

3. ALLOCATION OF SCHOLARSHIPS: -

The total number of scholarships are divided amongst the State Education Boards based on the State's population in the age group of 18-25 years, after segregating share of CBSE and ICSE on the basis of number of students passing out from various Boards in the country. 50 % of the scholarship is earmarked for girls. The number of scholarships allotted to a State Education Board is distributed amongst pass outs of the Science, Commerce and Humanities streams in the ratio of 3:2:1. In case of shortfall in the number of applications, the scholarship slots could be inter-changed.

4. ELIGIBILITY

Students who are above 80th percentile of successful candidates in the relevant stream from the respective Board of Examination in Class XII of 10+2 pattern or equivalent and pursuing regular courses (not correspondence or distance mode) in Colleges/Institutions recognized by All India Council of Technical Education, UGC Act, 1956, Medical Council of India, Dental Council of India and respective regulatory authorities and not availing benefit of any other scholarship scheme including State run scholarship schemes/Fee waiver and

reimbursement scheme are eligible under the scheme. Students pursuing Diploma courses are not eligible under the scheme.

5. RESERVATION

Students belonging to reserved categories/weaker sections /minorities are eligible on the basis of merit, subject to Central Reservation Policy and internal earmarking. Reservations for the various categories are as follows : Scheduled Castes (SCs) 15 % , Scheduled Tribes (STs) 7.5 % , Other Backward Classes(OBCs) 27 % and horizontally 5 % for Physically Handicapped / Persons(s) with Disabilities (PwDs) in all the categories.

6. ANNOUNCEMENT OF THE SCHEME AND SELECTION PROCEDURE

- 1) National Scholarship Portal (NSP) www.scholarships.gov.in will be opened for online application in the month of June-July every year.
- 2) Class XII pass out students of the current Academic Year, who are above 80th percentile of the respective State Education Boards (SEBs) are eligible under the scheme and can apply on National Scholarship Portal (www.scholarship.gov.in) before the cut-off date. Physical application would not be accepted.
- 3) The online applications would be verified at two levels:
 - (i) By the Institute where the student is studying.
 - (ii) By the respective State Education Board.
- 4) Applicant is required to submit requisite documents, such as [Class 12th mark sheet, Income Certificate] to the institute.
- 5) Application which is not verified either by the institute or by the concerned State Education Board or by both will be treated as 'Invalid'.
- 6) Merit list as per the State allocated quota would be generated from the verified applications.

7. RATE OF SCHOLARSHIPS:

The rate of scholarship is Rs.10000/- per annum at Graduation level for first three years of College and University courses and Rs.20000/- per annum at Post-Graduation level. Students pursuing professional courses, in case, where the duration of course is five (5) years/Integrated course would get Rs.20000/- per annum in the 4th and 5th year. However, students pursuing technical courses such as B.Tech., B.Engg would get scholarship up to graduation level.

8. PARENTAL INCOME CEILING:

The parental/family income ceiling is Rs. 8 lakh per annum for all categories under the scheme and would be applicable from the Academic Session 2018-19. Income certificate would be required for the fresh applicants only.

9. DURATION OF SCHOLARSHIPS AND ITS RENEWAL

A student will be eligible for the scholarship for a total duration not exceeding 5 years. A scholarship under the scheme is renewable on year to year basis up to Post Graduate level in the same stream (except for the students pursuing technical courses leading to degree at graduation level).

If a scholar is unable to appear in the annual examination owing to illness and or on account of any unforeseen event, the award may be renewed for the next academic year on submission of medical certificate and other proof to satisfy the Head of the Institution who will certify that the student would have passed with required percentage of marks or equivalent Grade Point Average, had he/she appeared in the examination.

A scholar would be allowed to continue/renew his/her scholarship if, he/she changes the course of study to a stream not offered by his school Board in Class XII (e.g. Law, Fashion Technology, etc.). Students changing their college/institute of study would be allowed to continue/renew the scholarship provided the course of study and the institution is recognized.

10. For receiving scholarship benefit under Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students, an individual shall furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication. Till the time Aadhaar is assigned to the individual, following alternative identifiers can be used:-

- (i) Aadhaar Enrolment ID slip
- (ii) Application made for Aadhaar enrolment
- (iii) Voter identity card
- (iv) Permanent Account Number
- (v) Passport
- (vi) Driving License
- (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; (viii) Identity Card issued by the college or institute or university.
- (viii) Any other document with photo specified by the State Government:

Further, the students are required to have the bank accounts opened, especially, in their name for availing the benefits under the scheme. The scholarship will be disbursed directly into the bank accounts of the beneficiaries through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. The student can track their payment status from the template " Know Your Payment" in the Public Financial Management System (PFMS) portal [<https://pfms.nic.in/Users/LoginDetails/Login.aspx>] either by indicating Aadhaar number or bank account number.

11. PROCEDURE FOR RENEWAL OF SCHOLARSHIP

For students of Academic Year 2008-09 to 2014-15 (up to 3rd renewal)

Students who have passed Class XII in the Academic Year 2008-09 to 2014-15 (up to 3rd renewal) are required to obtain the renewal application blank form from the respective State Education Boards and submit the same duly certified from their respective institutions which is required to certify:

- (a) that the student has secured 60 % or more marks in the previous exam,
- (b) that the student has 75 % attendance and
- (c) that the student is not involved in any ragging activities.

For students of Academic Year 2014-15 (4th renewal) (Offline)

Students who have passed Class XII and have received fresh/renewal scholarship through the State Education Board concerned, are required to obtain the renewal application blank form from the respective State Education Boards and submit the same duly certified from their respective institutions which is required to certify:

Number of Scholarships allocated to States/UTs under the Central Sector Scheme of Scholarship for University and College Students

S. No.	State	Quota (per year)
1	CBSE	5413
2	ICSE	577
3	Andhra Pradesh*	3527
4	Arunachal Pradesh	77
5	Assam	2002
6	Bihar	5624
7	Chattisgarh	1387
8	Delhi	1162
9	Goa	113
10	Gujarat	3944
11	Haryana	1591
12	Himachal Pradesh	461
13	Jammu & Kashmir	768
14	Jharkhand	1878
15	Karnataka	4237
16	Kerala	2324
17	Maharashtra	7417
18	Madhya Pradesh	4299
19	Manipur	181
20	Meghalaya	166
21	Mizoram	75
22	Nagaland	176
23	Odisha	2736
24	Punjab	1902
25	Rajasthan	3978
26	Sikkim	44
27	Tamil Nadu	4883
28	Telangana	2570
29	Tripura	236
30	Uttar Pradesh	11460
31	Uttarakhand	616
32	West Bengal	5941
33	Andaman & Nicobar	31
34	Chandigarh	82
35	Dadra & Nagar Haveli	21
36	Daman & Diu	19
37	Lakshadweep	4
38	Puducherry	78
	Total:	82000

Note: - Bifurcation of Quota of unified State of Andhra Pradesh (6097) divided between the new State of Telangana (2570) and Andhra Pradesh (3527) vide letter no. 42/2014-NS-I (S.P.) dated 17.09.2014.

Handwritten signature/initials

(3)

(5)

स्पीड-पोस्ट

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल.

क्रमांक 1481/360/आउशि/छा./2015,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14-12-2015

- | | |
|---|---|
| 1 प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त-
अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश | 2 प्राचार्य,
समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी,
महाविद्यालय, मध्यप्रदेश |
| 3 कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश | 4 संचालक,
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, भोपाल |
| 5 संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, भोपाल | 6 आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय,
गौतम नगर, भोपाल |
| 7 सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश,
भोपाल (म.प्र.) | |

विषय-सेन्टर सेक्टर स्कालरशिप स्कीम फार कालेज एण्ड युनिवर्सिटी स्टूडेन्ट।

संदर्भ-विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/1613/2705/2015/38-2, दिनांक 3.10.15 एवं संलग्न संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक डी0ओ0नं0 1-44/2015-एनएस-आई, दिनांक 15.09.2015

-----0-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक डी0 ओ0 नं0 1-44/2015-एनएस-आई, दिनांक 15.09.2015 में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार,

Handwritten signature

OL उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश 14-12-2015

पू.क्रमांक 1482/360 /आउशि/छा./2015,
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक /1613/2705/2015/38-2, भोपाल, दिनांक 03.10.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

Handwritten signature

Handwritten signature
16-12-15

Handwritten signature
अपर संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / 1613 / 2705 / 2015 / 38-2

भोपाल, दिनांक 3/10/15

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा
भोपाल।

2555
7/10/15

विषय:—सेक्टर सेक्टर स्कालरशिप स्कीम फार कालेज एण्ड युनिवर्सिटी स्टूडेंट।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक डी०ओ० नं० 1-44/2015-एनएस-आई दिनांक 15/09/2015 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(ऑ.प.शा. यादव)

विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी
म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर (द्वानावृत्ति)

07 OCT 2015

प्राप्त
5/10/15
5-25-939

10

7/10/15

माल
28.10.15

2/10/15



सत्यमेव जयते

Ishita Roy
Joint Secretary

Tele:- 011-23381721
Fax:- 011-23385162
Email : ishita.edu@gov.in



भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

मुख्य अधिकारी कार्यालय

OS/GEN/6761/2015
दिनांक 26/9/15

D. O. No.1-44/2015-NS-I

Dated 15th September, 2015

दि.
26/9/15

Dear Sir,

The Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development has been operating Central Sector Scheme of Scholarship for College and University students from the year 2008-09. The scheme has been included in the DBT programme of the Government of India and scholarship is being disbursed directly into the bank account of the beneficiaries from 1st January 2013.

2. With a vision to transform India into a digital empowered society, the Government of India has launched the Digital India Programme. An initiative included under it is the National e Scholarship Portal. The National Scholarships Portal (NeSP) is a common electronic portal which provides as a one-stop solution beginning with submission of student application, verification, sanction and disbursement of scholarship to end beneficiary.

24 SEP 2015
PS, H. Edu.

Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students has on boarded the National e Scholarship Portal wherein the students who have passed class XII examination in the current academic year are required to apply online for fresh scholarships on National e Scholarship Portal (www.scholarships.gov.in)

4. In order to make the Digital India initiative successful, the participation and involvement of the stakeholders are of prime importance.

दिनांक 26/9/15
OS/GEN/6761/2015

5. I shall be grateful, if you could kindly give necessary directions to the State Education Board of your State to give wide publicity to this initiative so that more and more students apply online on the National e Scholarship Portal.

Asam Legarda,


Yours sincerely,

A

(Ishita Roy)

26 SEP 2015
OS/GEN/6761/2015

Shri Anthony J C Desa,
Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal-462004



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

PA

क्रमांक 791/367 /आउशि/छा./2018
प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.
2. प्राचार्य,
समस्त शास./अनुदान प्राप्त अशास. महाविद्यालय मध्यप्रदेश.
3. प्राचार्य,
समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय मध्यप्रदेश.
4. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश.
5. संचालक,
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
6. संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय-सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की रिवाईज्ड
गाईड लाईन अगस्त 2018 भेजने बाबत।

संदर्भ-माध्यमिक शिक्षा मण्डल, MO प्र0 भोपाल का पत्र क्र./1256/छात्रवृत्ति/2018, दि. 09.08.2018

-0-


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार मानव संसाधन विकास
मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक No.1-55/2014-NS-1 (Revised
guidelines) दिनांक 02 अगस्त 2018. एवं रिवाईज्ड गाईड लाईन अगस्त 2018 की छायाप्रति
संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित हैं।

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप हेतु सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिये पालक की
वार्षिक आय रूपये छः लाख से बढ़ाकर रूपये आठ लाख कर दी गई है। संशोधित नियम शैक्षणिक
सत्र 2018-19 से प्रवामशील किये गये हैं। आय प्रमाण पत्र नवीन आवेदकों के लिये अनिवार्य हैं।

अतः निर्देशानुसार सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी
स्टूडेंट की रिवाईज्ड गाईड लाईन अगस्त 2018 में दिये गये निर्देशों का प्रचार-प्रसार प्रदेश के
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से करना सुनिश्चित करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को
इसका लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्न-उपरोक्तानुसार,


डॉ. रैदास



(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 21-8-18

क्रमांक 792/367 /आउशि/छा./2018
प्रतिलिपि -

1. पंजीयक छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पत्र क्रमांक/
1256/ छात्रवृत्ति/ 2018, दिनांक 09.08.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट
पर अपलोड करने का कष्ट करें।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल

वेब साईट-www.mpboardscholarship4@gmail.co

कार्यालय फोन नंबर- 0755 2789911

क्र. / 256 / छात्रवृत्ति / 2018

भोपाल दिनांक 09 / 08 / 2018

प्रति,

डॉ. पूर्णिमा लोधवाल,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, विभाग मध्यप्रदेश शासन,
तृतीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल। (म.प्र.)

पं.
श्री राम कृष्ण
16/8/18

विषय :- सेन्द्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की रिवाईज गाईड लाईन अगस्त 2018 भेजने बाबत।

सन्दर्भ:- मनाव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 02 अगस्त 2018 ।

-- / / --

उपरोक्त विषयांतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा सन्दर्भित पत्र में सेन्द्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिये रिवाईज्ड गाईड लाईन अगस्त 2018 माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल को प्राप्त हुई है। जिसमें सेन्द्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप हेतु सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिये पालक की वार्षिक आय रूपये छः लाख से बढ़ाकर रूपये आठ लाख कर दी गई है। संशोधित नियम शैक्षणिक सत्र 2018-19 से प्रभावशील किये गये हैं। आय प्रमाण पत्र नवीन आवेदकों के लिये अनिवार्य हैं।

अतः पत्र एवं रिवाईज्ड गाईड लाईन म.प्र. के सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को भेजा जाना अतिआवश्यक है, जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार पत्र एवं गाईडलाईन (अगस्त 2018)।

श्री राम कृष्ण
16/8/18

06.8.18
पंजीयक छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल

No. 1-55/2014-NS-1 (Revised guidelines)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(National Scholarship Division)

2nd Floor, Wing-G, West Block-1, R.K. Puram,
New Delhi, the 2nd August, 2013

To

Heads of all State Education Boards

Subject: Change in the income criteria for the "Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students - regarding.


Sir,

I am directed to inform that with the approval of Hon'ble Minister for Human Resource Development, the income ceiling under the "Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students" has been revised from Rs. 6 lakh per annum to Rs. 8 lakh per annum which will be effective from the Academic Year 2018-19. A copy of the revised guidelines is enclosed.

2. All State Education Boards are requested to flash the revised provision of income ceiling in their website, so that more number of students could apply online.
3. The receipt of the revised guidelines may kindly be acknowledged.

Encl: Revised Guidelines

Yours faithfully,



(Ghanshyam)

Under Secretary (Scholarship)

Tel. 26172917



कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल

वेब साईट-www.mpboardscholarship4@gmail.co

कार्यालय फोन नंबर- 0755 2789911

16-8-18 (6)

क्र. / 256 / छात्रवृत्ति / 2018
प्रति,

भोपाल दिनांक 09 / 08 / 2018

डॉ. पूर्णिमा लोधवाल,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, विभाग मध्यप्रदेश शासन,
तृतीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल। (म.प्र.)

पं.
श्री राम कर्ण
16/8/18

विषय :- सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टुडेंट की रिवाईज गाईड लाईन अगस्त 2018 भेजने बाबत।

सन्दर्भ:- मनाव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 02 अगस्त 2018 ।

--//--

उपरोक्त विषयांतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा सन्दर्भित पत्र में सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिये रिवाईज्ड गाईड लाईन अगस्त 2018 माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल को प्राप्त हुई है। जिसमें सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप हेतु सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिये पालक की वार्षिक आय रूपये छः लाख से बढ़ाकर रूपये आठ लाख कर दी गई है। संशोधित नियम शैक्षणिक सत्र 2018-19 से प्रभावशील किये गये हैं। आय प्रमाण पत्र नवीन आवेदकों के लिये अनिवार्य हैं।

अतः पत्र एवं रिवाईज्ड गाईड लाईन म.प्र. के सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को भेजा जाना अतिआवश्यक है, जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार पत्र एवं गाईडलाईन (अगस्त 2018)।

श्री राम कर्ण
16/8/18

16-8-18
पंजीयक छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल

कमांक 791/367 / आउशि / छा. / 2018
प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.
2. प्राचार्य,
समस्त शास./ अनुदान प्राप्त अशास. महाविद्यालय मध्यप्रदेश.
3. प्राचार्य,
समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय मध्यप्रदेश.
4. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश.
5. संचालक,
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
6. संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय-सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की रिवाईज्ड
गाईड लाईन अगस्त 2018 भेजने बाबत।

संदर्भ-माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0 प्र0 भोपाल का पत्र क्र./1256/छात्रवृत्ति/2018, दि. 09.08.2018

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार मानव संसाधन विकास
मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक No.1-55/2014-NS-1 (Revised
guidelines) दिनांक 02 अगस्त 2018. एवं रिवाईज्ड गाईड लाईन अगस्त 2018 की छायाप्रति
संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित हैं।

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप हेतु सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिये पालक की
वार्षिक आय रुपये छः लाख से बढ़ाकर रुपये आठ लाख कर दी गई है। संशोधित नियम शैक्षणिक
संव 2018-19 से प्रवामशील किये गये हैं। आय प्रमाण पत्र नवीन आवेदकों के लिये अनिवार्य हैं।

अतः निर्देशानुसार सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी
स्टूडेंट की रिवाईज्ड गाईड लाईन अगस्त 2018 में दिये गये निर्देशों का प्रचार-प्रसार प्रदेश के
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से करना सुनिश्चित करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को
इसका लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्न-उपरोक्तानुसार,

(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21-8-18

कमांक 792 / 367 / आउशि / छा. / 2018
प्रतिलिपि -

1. पंजीयक छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पत्र क्रमांक/
1256/ छात्रवृत्ति/ 2018, दिनांक 09.08.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट
पर अपलोड करने का कष्ट करें।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

अ. रेखा

23.8.18



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
E-mail : mpboardscholarship4@gmail.com, Website : www.mpbse.nic.in
कार्यालय फोन नंबर- 0755 2769911



क्रमांक / 1420 / छात्रवृत्ति / 2019

भोपाल, दिनांक 20 / 08 / 2019

प्रति,

श्री धीरेन्द्र शुक्ला,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन,
तृतीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल। (म.प्र.)

विषय :- सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वर्ष 2019 के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन के वेरिफिकेशन के संबंध में।

—//—


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप वर्ष 2019 के नवीन एवं नवीनीकरण Online आवेदन हेतु NSP Portal दिनांक 15.07.2019 से प्रारम्भ हो चुका है।

म.प्र. के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों (Institute level) से अभी तक कोई भी आवेदन Verify होकर Board (State) स्तर पर Verification हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। संस्था स्तर पर Verification हेतु मात्र 255+186 आवेदन लंबित दर्शाये जा रहे हैं, परन्तु संस्थाओं के द्वारा अभी तक आवेदनों को सत्यापित नहीं किया जा रहा है, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा संस्था स्तर पर एवं राज्य स्तर पर आवेदनों को सत्यापित करने की अंतिम तिथि 31.10.2019 निर्धारित की गयी है।

संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के आवेदनों को अंतिम तिथि तक सत्यापित नहीं किए जाने पर विद्यार्थी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे, ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था जिम्मेदार होगी।

अतः निर्धारित समयवधि में विद्यार्थियों के आवेदन सत्यापित करने हेतु अधीनस्थ महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को निर्देशित करना सुनिश्चित करना चाहें।

मि.प्र. नवीन
24/8


19.8.19
पंजीयक छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल

कार्यालय आयुक्ता उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

कमोंक 769/228/आउशि/छा/2019

भोपाल दिनांक 12-9-2019

प्रति,

- 1 कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.
- 2 प्राचार्य
समस्त शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश
- 3 प्राचार्य,
समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय म.प्र.

विषय:- सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वर्ष
2019 के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन के वैरिफिकेशन के संबंध में ।

संदर्भ:- पंजीयक छात्रवृत्ति माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्र
क्रमांक 1420/छात्रवृत्ति /2019 दिनांक 20.08.2019

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहे। उक्त पत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल ने निर्देशित किया है कि सेन्ट्रल सेक्टर ऑफ स्कॉलरशिप वर्ष 2019 के नवीन एवं नवीनीकरण आन लाइन आवेदन हेतु NSP Portal दिनांक 15.07.2019 से प्रारंभ हो चुका है।

2 आपके अधीनस्थ आने वाले विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालय से अभी तक कोई भी आवेदन अग्रेषित होकर बोर्ड (state) स्तर पर सत्यापन हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। संस्था स्तर पर अग्रेषण के लिये 441 आवेदन लंबित दर्शाये जा रहे हैं परंतु संस्थाओं के द्वारा अभी तक आवेदनों का सत्यापित नहीं किया जा रहा है जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा संस्था स्तर पर एवं राज्य स्तर पर आवेदनों को सत्यापित करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2019 निर्धारित की गई हैं

3 संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन यथासमय सत्यापित नहीं किए जाने पर यदि विद्यार्थी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाने पर संबंधित संस्था जिम्मेदार होंगी।

अतः निर्धारित समयवधि में विद्यार्थियों के आवेदन सत्यापित करने कार्यवाही पूर्ण कर आनलाइन माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को अग्रेषित करना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्रों के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तत्काल जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विलंब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छायाप्रति

डॉ. रंजि
[Signature]

[Signature]
12/9/19

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पू. क्रमांक:- 770/ 228 /आउशि/छा./19.

भोपाल, दिनांक 12-9-19

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
- 2- निज सहायक आयुक्त उच्च शिक्षा म0 प्र0 सतपुडा भवन भोपाल ।
- 3- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक समस्त संभाग उच्च शिक्षा म0प्र0 की ओर अग्रेषित कर लेख है कि विषयांतर्गत संस्था स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित आवेदन पत्रों का NSP PROTAL पर शीघ्र सत्यापन संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
- 4- समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
- 5- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आई0टी0सेल0 उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश